

सम्पति एवं देयताओं की घोषणा:-

वर्ष 2020/2021

शुभान्दि देवा

पुत्र/पुत्री/पत्नी लक्ष्मी गौड

प्रखण्ड-आरा सदर

जिला भोजपुर

उम्र 33 वर्ष

धारित पद

पंच वार्ड नं० 1

के द्वारा अधोलिखित है-

(क) धन सम्पत्ति का विवरण :-

(संयुक्त स्वामित्व की सीमा को इंगित करने वाले संयुक्त नाम को सम्पत्ति भी दी जानी चाहिए।)

क्र०स०	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
I.	नगद	20000	10000	-	-	-
II.	बैंको वित्तीय संस्थानों और बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में जमा	10000	10000	✓	-	-
III.	बॉन्ड, डिबेंचर, कम्पनियों में शेयर	-	-	-	-	-
IV.	अन्य वित्तीय संस्थान, एन.आई.सी. पॉलिसी, आदि।	-	-	-	-	-
V.	मोटर वाहन, आदि।	-	-	-	-	-
VI.	आभूषण (वनज एवं वर्तमान मूल्य का विवरण दे।)	-	-	-	-	-
VII.	अन्य सम्पत्तियों, जैसे कि दावों/हितों का मूल्य--	-	-	-	-	-

नोट:- सूचीबद्ध कम्पनियों के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज में नवीनतम बाजार मूल्य के अनुसार बॉन्ड/शेयर/डिबेंचर्स का मूल्य और सूचीबद्ध के मामलों में पुस्तकों के अनुसार दी जानी चाहिए।

निर्भर का अर्थ यह है की प्रतिनिधी के आय पर पर्याप्त रूप से निर्भर व्यक्ति है।

शुभान्दि देवा

सम्पत्ति का विवरण -

सम्पत्ति की सीमा को हटाने वाले सवुअर सम्पत्ति को भी दिखाना चाहिए।

विवरण	स्वतः	पति	कार्यवाही 1	कार्यवाही 2	कार्यवाही 3
कृषि भूमि स्थान (स्थानी) एवं सख्खा विस्तार (कुल माप) वर्तमान बाजार मूल्य	—	1/2 0.11	—	—	—
शेष कृषि भूमि स्थान (स्थानी) एवं सख्खा विस्तार (कुल माप) वर्तमान बाजार मूल्य	—	—	—	—	—
भूदान (व्यक्तिगत/आवसीय) स्थान (स्थानी) एवं सख्खा विस्तार (कुल माप) वर्तमान बाजार मूल्य	—	—	—	—	—
भूदान / अवैतनिक आदि। स्थान (स्थानी) एवं सख्खा विस्तार (कुल माप) वर्तमान बाजार मूल्य	—	—	—	—	—
V. अन्य (जैसे सम्पत्ति में रुचि)	—	—	—	—	—

2 में यहाँ सार्वजनिक दैनिकारिकों और सरकारी बकाया राशि के लिए अपनी दैनिकारिकों/अतिदेव के खीरे नीचे देता हूँ

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय से स्थानों बैंको/विभाग (विभागों) का नाम एवं पता	राशि दिनांक / तक।
I.	बैंको से ऋण	—	—
II.	वित्तीय संस्थानों से ऋण	—	—
III.	सरकारी देय राशि (क) सरकारी आवास से निपटने वाले विभागों का बकाया। (ख) पानी की आपूर्ति से निपटने वाले विभागों का बकाया। (ग) बिजली की आपूर्ति से निपटने वाले विभागों का बकाया। (घ) टेलीफोन/मोबाइल से निपटने वाले विभागों का बकाया। (ङ) सरकारी परिवहन से निपटने वाले विभागों का बकाया।	—	—
	(ख) (I.) अधिभार सहित आयकर (निर्धारित वर्ष अंकित करे जिस पर आयकर रिटर्न दाखिल किया गया है। स्थायी खाता संख्या (PAN) भी दें।	—	—
	(II.) घन कर निर्धारित वर्ष जिस सम्पत्ति पर रिटर्न दाखिल किया गया है।	—	—
	(III.) बिक्री कर (केवल मालिकाना व्यवसाय के मामले में)	—	—
	(IV.) सम्पत्ति कर	—	—

समस्त विद्या

...

...

...



...

11/1/2018

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...